मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 9 दिसंबर 2022

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
IV.	वित्तीय बाज़ार	3
V.	सरकार का बैंक	3
VI.	आरबीआई का प्रकाशन	3
VII.	उत्कर्ष 2.0	4
VIII.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2022 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 7 दिसंबर 2022

एक और उतार-चढ़ाव वाले वर्ष के अंत में, वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी गंभीर आघातों और अनोखी अनिश्चितता से जूझ रही है। इस वर्ष (2022) की शुरुआत में, यूक्रेन में हुए युद्ध ने पूरे विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया और वैश्विक आर्थिक संभावना को मौलिक रूप से बदल दिया। खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और उसकी कमी ने विश्व भर के लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में हाल के दिनों में मामूली कमी आई हैं, फिर भी मुद्रास्फीति उच्च और वैविध्यपूर्ण बनी हुई है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस वर्ष या अगले वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक तिहाई से अधिक हिस्से में गिरावट आएगी। हालांकि इस तरह के बड़े झटकों के दुष्प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), विशेष रूप से खाद्य, ऊर्जा और कमोडिटी के आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

2. महामारी और युद्ध से परे, व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी में विखंडन भी विवैश्वीकरण को बल दे रहा है। भू-राजनीतिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति शृंखलाओं को फिर से तैयार किया जा रहा है, जिससे 'रिशोरिंग' और 'फ्रेंड-शोरिंग' हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।

3. इस प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था आघात-सहनीय बनी हुई है, जो अपने समष्टिआर्थिक सिद्धांतों से बल प्राप्त कर रही है। हमारी वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी हुई है। संकट से पहले की तुलना में बैंकों और कॉरपोरेटों की स्थिति काफी अच्छी है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 7 दिसंबर 2022 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

i) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत हो गई है।

ii) एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली; और (iii) वित्तीय बाजार से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में एसएलआर धारिताएं

1 सितंबर 2020 को या उसके बाद से 31 मार्च 2023 तक अर्जित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियों के संबंध में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की सीमा को 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया गया। 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से एचटीएम की सीमा 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

i) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) में वृद्धि

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेनों के लिए एक लोकप्रिय खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है। प्रत्येक माह यूपीआई की ब्लॉक सुविधा का उपयोग करके लगभग 70 लाख स्वभुगतान अधिदेशों को संचालित किया जाता है और आधे से अधिक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) आवेदनों को प्रसंस्कृत किया जाता है। अतः, यूपीआई में एकल-ब्लॉक-और-बहु डेबिट कार्यात्मकता शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो ई-कॉमर्स क्षेत्र में भुगतान और प्रतिभूतियों में निवेश को आसान बनाएगा। शीघ्र ही एनपीसीआई को अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

ii) *भारत बिल भुगतान प्रणाली के दायरे का विस्तार करना*

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा संचालित एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, जो उपभोक्ताओं और आवर्ती बिल जुटाने वाले बिलर्स की बिल भुगतान आवश्यकताओं को तथा आवक सीमापारीय बिल भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। तथापि, बीबीपीएस वर्तमान में गैर-आवर्ती भुगतान या व्यक्तियों की संग्रहण आवश्यकताओं के लिए सक्षम नहीं है, भले ही भुगतान आवर्ती प्रकृति के हों। परिणामस्वरूप, भुगतान/ संग्रहण की कुछ श्रेणियां बीबीपीएस के दायरे से बाहर रहती हैं, यथा पेशेवर सेवा शुल्क भुगतान, शिक्षा शुल्क, कर भुगतान। अतः, बीबीपीएस के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है ताकि आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकृति की भुगतान और संग्रहण की सभी श्रेणियां को शामिल किया जा सके।

III. वित्तीय बाजार

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्वर्ण कीमत जोखिम की हेजिंग

भारत में निवासी संस्थाओं को वर्तमान में समुद्रपारीय बाजारों में स्वर्ण की कीमत के जोखिम के प्रति अपने एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति नहीं है। इन संस्थाओं को अपने स्वर्ण एक्सपोजर के कीमत जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि निवासी संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) में मान्यता प्राप्त विनिमयों पर अपने स्वर्ण की कीमत के जोखिम को हेज करने की अनुमति दी जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चालीसवीं बैठक 5-7 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 21 दिसंबर 2022 को, अर्थात् मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन, इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 599वीं बैठक 16 दिसंबर 2022 को कोलकाता में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक यथा, श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया।

बोर्ड ने अपनी बैठक में भू-राजनीतिक गतिविधियों, वित्त, व्यापार, चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर मसौदा रिपोर्ट, 2021-22 सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियम

बैंक दर में परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7 दिसंबर 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 में घोषणा किए अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7 दिसंबर 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 में घोषणा किए अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 6.15 प्रतिशत से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया गया। विस्तार पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक निरसन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची और आवेदन पत्र अपलोड किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना

रिज़र्व बैंक ने 13 दिसंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

इसके अलावा, तीन एनबीएफसी ने 13 दिसंबर 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सीओआर को अभ्यर्पित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने उनके सीओआर को रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित नियामक ढांचा

I. निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को शहरी सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर शहरी सहकारी बैंकों की निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियामकीय उद्देश्य

शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को यूसीबी के वर्गीकरण के लिए मौजूदा दो-स्तरीय ढांचे के बजाय चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे को अपनाया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को शहरी सहकारी बैंकों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों को संशोधित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2020 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं द्वारा भुगतान संबंधी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) का परिचालन किया था।

रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और भुगतान धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है। संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी। भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए मौजूदा बल्क अपलोड सुविधा के अलावा, दक्ष, मेकर-चेकर सुविधा, ऑनलाइन स्क्रीन-आधारित रिपोर्टिंग, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने का विकल्प जैसी अतिरिक्त कार्यात्मकताएं प्रदान करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाजार

महत्वपूर्ण बेंचमार्क

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा नियंत्रित, आशोधित मुंबई अंतरबैंक वायदा एकमुश्त दर (एमएमआईएफ़ओआर) को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया।

एफ़बीआईएल द्वारा नियंत्रित 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' की अद्यतन सूची में (i) एक दिवसीय मुंबई अंतरबैंक एकमुश्त दर (एमआईबीओआर) (ii) मुंबई अंतरबैंक वायदा एकमुश्त दर (एमआईएफओआर) (iii) यूएसडी/आईएनआर संदर्भ दर (iv) खजाना बिल दरें (v) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (vi) राज्य विकास ऋण (एसडीएल) का मूल्यांकन और (vii) आशोधित मुंबई अंतरबैंक वायदा एकमुश्त दर (एमएमआईएफ़ओआर) शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

चलनिधि समायोजन सुविधा

7 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सहमति से की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.90 प्रतिशत से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 6.00 प्रतिशत और 6.50 प्रतिशत पर समायोजित हो गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्थायी चलनिधि सुविधा

रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत की संशोधित रेपो दर पर उपलब्ध होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध निदेश, 2022

रिज़र्व बैंक ने 12 दिसंबर 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों को समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमतों के जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग के संबंध में निदेश जारी किए। ये निदेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए अपने ग्राहकों/ घटकों द्वारा समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमतों के जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग की सुविधा के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. सरकार का बैंक

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23

रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2022 को भारत सरकार की दिनांक 15 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के बारे में सूचित किया, जिसमें सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23 की शृंखला III और IV की घोषणा के साथ उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित बॉण्ड जारी करने के विस्तृत नियम और शर्तों का विवरण दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना - समय-पूर्व मोचन

रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर 2022 को सूचित किया कि एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII- जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017, के समयपूर्व मोचन की पहली देय तिथि 26 दिसंबर 2022 होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. रिज़र्व बैंक प्रकाशन

रिज़र्व बैंक के इतिहास का पांचवां खंड

रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का पांचवां खंड जारी किया। इस खंड में वर्ष 1997 से वर्ष 2008 तक की 11 वर्ष की अवधि शामिल है। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015 में डॉ. नरेंद्र जाधव, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व प्रधान परामर्शदाता एवं मुख्य अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में इस खंड को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित इस खंड में भारतीय रिज़र्व बैंक के संस्थागत इतिहास को आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रकाशनों और उन व्यक्तियों के साथ मौखिक चर्चाओं के आधार पर प्रलेखित किया गया है जो इस अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज के साथ निकटता से जुड़े थे। इस खंड में उस अवधि के दौरान की प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में नीतिगत और परिचालन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख संकटों अर्थात एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा जाना जाता है। इसमें तीन गवर्नरों के कार्यकाल – डॉ. सी. रंगराजन के कार्यकाल का उत्तरार्द्ध, डॉ. बिमल जालान का संपूर्ण कार्यकाल और डॉ. वाई. वी. रेड्डी के कार्यकाल का एक बड़ा भाग शामिल है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2022 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट – 2021-22 जारी किया। यह रिपोर्ट 2021-22 और 2022-23 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन पत्र ने ऋण संवृद्धि के कारण सात वर्ष के अंतराल के बाद 2021-22 में दो अंकों की संवृद्धि दर्ज की जिससे 2022-23 की पहली छमाही में यह दस वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

ii) एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2021 के अंत में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 के अंत में 16.8 प्रतिशत हो गया, साथ ही सभी बैंक 11.5 प्रतिशत की विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और 8 प्रतिशत की इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) अनुपात की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

iii) एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 2017-18 में अपने चरम स्तर से मार्च 2022 के अंत तक 5.8 प्रतिशत तक कम होते हुए क्रमिक रूप से घट रहा है, जो कम गिरावट के साथ-साथ बकाया जीएनपीए में कमी के कारण है।

iv) आय में तेजी और व्यय में संकुचन ने 2021-22 में एससीबी की लाभप्रदता को बढ़ाया, जिसे इक्विटी पर प्रतिलाभ और आस्तियों पर प्रतिलाभ के संदर्भ में मापा गया।

v) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वित्तीय निष्पादन ने 2021-22 में सुधार दिखाया, जो संवर्धित पूंजी बफर, जीएनपीए अनुपात में गिरावट और बेहतर लाभप्रदता संकेतकों से अभिलक्षित रहा।

vi) एनबीएफसी क्षेत्र ने 2021-22 के दौरान पर्याप्त चलनिधि बफ़र, पर्याप्त प्रावधानीकरण और एक मजबूत पूंजी की स्थिति बनाए रखी, साथ ही आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2022 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 26वां अंक जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

i) वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के जोखिम के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। कई आघातों के परस्पर प्रभाव के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियां सख्त हो गई हैं और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है।

ii) भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है। तथापि, मजबूत समष्टि अर्थव्यवस्था के मूल तत्व तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ तुलन-पत्र, शक्ति और आघात-सहनीयता प्रदान कर रहे हैं और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं।

iii) बैंक ऋण की बढ़ती मांग और निवेश चक्र में बहाली के शुरुआती संकेतों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार, लाभप्रदता में वापसी और मजबूत पूंजी तथा चलनिधि के बफर से लाभ हो रहा है।

iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात सितंबर 2022 में कम होकर सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया और निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) दस वर्ष के निचले स्तर 1.3 प्रतिशत पर आ गई है।

v) ऋण जोखिम की समष्टि दबाव जांच से पता चलता है कि एससीबी गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का पालन करने में सक्षम होंगी। सितंबर 2023 में बेसलाइन, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत प्रणाली-स्तरीय जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) क्रमशः 14.9 प्रतिशत, 14.0 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

vi) निरंतर स्वरूप वाले कर्ज़ म्यूचुअल फंड के लिए दबाव जांच में, ब्याज दर, ऋण और चलनिधि जोखिम से संबंधित सीमाओं में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों दोनों का समेकित ऋण-शोधन क्षमता अनुपात भी निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर रहा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22

रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2022 को 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया, जिसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

प्रकाशन में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के संबंध में उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल सहित देयताओं और परिसंपत्तियों के प्रमुख मदों पर इकाई-वार जानकारी; आय और व्यय; चुनिंदा वित्तीय अनुपातों, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का विवरण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), अनर्जक आस्तियां (एनपीए), संवेदनशील क्षेत्रों का एक्सपोजर, आकस्मिक देयताएं और अदावी जमाराशियाँ शामिल हैं। यह ग्रामीण सहकारी बैंकों का समेकित तुलन पत्र का राज्यवार वितरण भी प्रस्तुत करता है।

इस प्रकाशन को भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआईई) (https://dbie.rbi.org.in के अंतर्गत 'समय शृंखला प्रकाशन' लिंक के माध्यम से आरबीआई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जहां सभी चरों पर समय शृंखला को 2021-22 तक अद्यतन किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन - दिसंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, आठ आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

बुलेटिन में शामिल आठ आलेख हैं:

i. अर्थव्यवस्था की स्थिति;

ii. भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि का गहन विश्लेषण;

iii. परिवारों के पूर्वाग्रह के समायोजन हेतु मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का निर्धारण;

iv. सरकारी वित्त 2022-23: एक छमाही समीक्षा;

v. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मापना;

vi. भारत में असंगठित क्षेत्र की गतिविधि के लिए एक सम्मिश्र संयोग सूचकांक;

vii. 2022-23 में कृषि: खरीफ का निष्पादन और रबी की संभावना; और

viii. व्यष्टि वित्त के माध्यम से वित्तीय समावेशन - भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का मूल्यांकन। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. उत्कर्ष 2.0

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 30 दिसंबर 2022 को वर्ष 2023-2025 की अवधि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा 'उत्कर्ष 2.0' का लोकार्पण किया।

उत्कर्ष 2.0 में विजन जो 2023-25 की अवधि हेतु रिज़र्व बैंक का मार्गदर्शन करेंगे, वे हैं:

i) अपने कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता;

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक में नागरिकों एवं संस्थानों का सुदृढ़ विश्वास;

iii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व;

iv) पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नैतिकता से प्रेरित आंतरिक सुशासन;

v) सर्वश्रेष्ठ एवं पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना; एवं

vi) नवोन्मेषी, क्रियाशील एवं कुशल मानव संसाधन।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

दिसंबर 2022 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र सं.	शीर्षक
1.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार
2.	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण
3.	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
4.	परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण
5.	नवंबर 2022 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
6.	भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन
7.	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)
8.	भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर- मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही
9.	राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का कैलेंडर- मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।